

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 जून 2011—ज्येष्ठ 18, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (2001) (3)
1.	आमासिवनी	2142
2.	कचना	4081
3.	जोरा	3968
4.	देवपुरी	3930
5.	इमरतराई	3205
6.	बोरियाखुर्द	3218
7.	इंडा	2952

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, रायपुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :-

राजस्व ग्राम आमासिवनी, कचना, जोरा, देवपुरी, डूमरतराई, बोरियाखुर्द, डूंडा एवं नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमाएं होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव।

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना एफ-1-42/18/2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव।

Raipur the 7th June 2011

NOTIFICATION

No.F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation, Raipur as given in the following schedule :-

SCHEDULE - 1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are includes in the Boundaries of Municipal Corporation Raipur is as under :-

S. No. (1)	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Amasivni	2142
2.	Kachna	4081
3.	Zora	3968
4.	Devpuri	3930
5.	Doomartarai	3205
6.	Boriakhurd	3218
7.	Dunda	2952

SCHEDULE - 2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raipur is as below :-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Raipur will be the boundaries of existing revenue gram Panchayat Amasivni, Kachna, Zora, Devpuri, Doomartarai, Boriakhurd, Dunda and Municipal Corporation, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	भगवानपुर	1467
2.	गोरखा	1063
3.	सराईपाली	619
4.	छातामुड़ा	2200
5.	सहदेवपाली	1040
6.	बोईरदादर	2462
7.	विजयपुर	1093
8.	गोवर्धनपुर	501
9.	उर्दना	2659
10.	अमलीभौना	483
11.	बड़े अतरमुड़ा	546
12.	पतरापाली	3352

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, रायगढ़ की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :-

राजस्व ग्राम भगवानपुर, गोरखा, सराईपाली, छातामुड़ा, सहदेवपाली, बोईरदादर, विजयपुर, गोवर्धनपुर, उर्दना, अमलीभौना, बड़े अतरमुड़ा, पतरापाली एवं नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाएं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना एफ-1-42/18/2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation, Raigarh as given in the following schedule :-

SCHEDULE - 1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are includes in the Boundaries of Municipal Corporation, Raigarh is as under :-

S. No. (1)	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Bhagwanpur	1467
2.	Gorkha	1063
3.	Saraipali	619
4.	Chatamuda	2200
5.	Sahadevpali	1040
6.	Boirdadar	2462
7.	Vijaypur	1093
8.	Gowardhanpur	501
9.	Urdana	2659
10.	Amlibhawana	483
11.	Badeatarmunda	546
12.	Patrapali	3352

SCHEDULE - 2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh is as below :-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh will be the boundaries of existing revenue grain Panchayat Bhagwanpur, Gorkha, Saraipali, Chatamuda, Sahdevpali, Boirdadar, Vijaypur, Gowardhanpur, Urdana, Amlibhawana, Badeatarmunda, Patrapali and Municipal Corporation, Raigarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एक-1-42/18/2009.—छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में सम्मिलित करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	नवागढ़	3084
2.	गंगापुर	1159
3.	बिशुनपुर	712
4.	भगवानपुर कला	2500

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :-

राजस्व ग्राम नवागढ़, गंगापुर, बिशुनपुर, भगवानपुर कला एवं नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमाएं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एफ-1-42/18/2009. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना एफ-1-42/18/2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation, Ambikapur as given in the following schedule :-

SCHEDULE - 1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are includes in the Boundaries of Municipal Corporation Ambikapur is as under :-

S. No. (1)	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Navagarh	3084
2.	Gangapur	1159
3.	Bisunpur	712
4.	Bhagwanpurkala	2500

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur is as below :-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur will be the boundaries of existing revenue Gram Panchayat Navagarh, Gangapur, Bisunpur, Bhagwanpurkala, and Municipal Corporation, Ambikapur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.